

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विघायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 जनवरी, 2015 ई0 माघ 02, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विमाग

संख्या 339/XXXVI(3)/2015/89(1)/2014 देहरादून, 22 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014" पर दिनांक 07 जनवरी, 2015 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2015)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए, भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 होगा। (2) यह तुरन्त लागू होगा।
- मूल अधिनियम की संशोधन 2. (1) मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त यथाविद्यमान) में जहाँ—जहाँ शब्द उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आये हैं वहाँ— वहाँ शब्द ''वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय'' रख दिए जायेंगे।
- मूल अधिनियम की धारा 3. मूल अधिनियम की धारा 2-क के पश्चात् एक नई धारा (2-कक) 2-कक का अन्तःस्थापन निम्नवत अन्तःस्थापित कर दी जायेगी:-
 - (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक को अधिनियम की धारा 6—क के अनुसूची में उल्लिखित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के विषयों से संबंधित महाविद्यालय/संस्थान वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे।
 - (2) विश्वविद्यालय की संबद्धता हेतु महाविद्यालयों / संस्थानों के लिए परिनियम ऐसे होगें जैसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन विहित किए जाएं।
- मूल अधिनिम के धारा 14 4. का प्रतिस्थापन

मूल अधिनियम की धारा 14 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्-

- (1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित प्राविधानान्तर्गत की जायेगी।
- (2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद, शैक्षिक परिषद, प्रवेश समिति, विश्वविद्यालय की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होगा।
- (3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का नियुक्त प्राधिकारी होगा।
- (4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकारी होगा। जो कि परिनियमावली में विहित की जायेंगी।
- (5) कुलसचिव विश्वविद्यालय से शैक्षणिक संबद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से संबंधित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) कुलसचिव विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षण के संचालन एवं समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 5. 6-क की अनुसूची के अन्तर्गत अभिवृद्धि मूल अधिनियम की धारा 6-क के अन्तर्गत अनुसूची में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढवाल) हेतु आवंटित विषयों में निम्नवत अभिवृद्धि कर दी जाएगी; अर्थात् —

- (3) कृषि विज्ञान,
- (4) पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान,
- (5) मत्स्य विज्ञान,
- (6) खाद्य विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी,
- (7) औषधि एवं संगन्ध पादप विज्ञान,
- (8) इको-टूरिज्म

आज्ञा से, जय देव सिंह, प्रमुख सचिव।

No. 339/XXXVI(3)/2015/89(1)/2014 Dated Dehradun, January 22, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidhalaya (Second Amendment) Bill, 2014" (Adhiniyam Sankhya 06 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2015.

THE UTTARAKHAND KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SECOND AMMENDMENT Act, 2014

(THE UTTARAKHAND Act No. 06 of 2015)

Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Sixty Forth year of the Republic of India as follows,

An

Act

Further to amend "The Uttarakhand Krishi Evam Prodygik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (as applicable in Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand as follows:-

| Short Title and Commencement | 1. | This Act may be called the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Second Amendment) Act, 2014 It shall come into force at once. |
|---|----|--|
| Amendment in the Principal Act | 2. | 1) Wherever the words Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya occurs in the Principal Act, (as applicable and as in existence in the State of Uttarakhand) shall be substituted |
| | | as "Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya" |
| Insertion of Section 2-aa | 3. | A following new section 2-aa shall be inserted after Section 2-a of the Principal Act:- (1) From the date of commencement of this Act, Colleges/Institutes |
| | | related to the subjects mentioned under Section 6-a, shall be deemed to be affiliated to the Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya. (2) The Statutes for affiliation of the Colleges/Institutes for |
| | | University shall be such as may be prescribed subject to the provisions of the Act. |
| Substitution of Section 14 of the Principle Act | 4. | Section 14 of the Principal Act Shall be Substituted as follows, namely |
| | ÷ | (1) The Registrar of the Veer Chandra Singh Garhwali Horticulture & Forestry University be the fulltime officer of the University. Registrar will be appointed according to the provisions made by the |
| | | State Government. (2) Registrar will be the ex-officio Secretary of the Board of |
| | | Management, Education Council of the University and Committee constituted for the appointment of the teachers. |
| 1 * | | (3) Registrar will be the appointing authority for the appointment of the class III & IV employees of the University. |
| | | (4) Registrar will be authority for discharge of the administrative and financial functions of the University. |
| | | (5) Registrar will be responsible for all matters concerning educational affiliation and institutional functions of the university according to the statutes. |
| | | (6) Registrar will be responsible for ensuring the inspection and complete supervision, of the colleges and institutions affiliated to the University as may be prescribed. |
| Accretion in the Schedule | 5. | The following shall be accreted to the subjects allocated |

Accretion in the Schedule under section 6-a of the Principal Act

- The following shall be accreted to the subjects allocated for uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar (Pauri Garhwal) in the Schedule under Section 6-a Of the Principal Act:-
- (3) Agricultural Sciences
- (4) Animal Husbandry & Veterinary Sciences
- (5) Fisheries Sciences
- (6) Food Science & Technology
- (7) Medicinal & Aromatic Plants Science
- (8) Eco-tourism

By Order,

JAI DEO SINGH, Principal Secretary.